*भारत में मुद्रा प्रबंधन : विषय और चुनौतियां**

के.सी. चक्रवर्ती

श्री टॉम फरग्युसन, अध्यक्ष, बैंक नोट सम्मेलन 2014 ; श्री टिम विगोस्की, निदेशक, बैंक नोट सम्मेलन 2014, मेरे साथी वक्ता - श्री बर्ना बराबस, डीएमडी, जूरा सेक्युरीटी प्रिंटिंग एलायंस; डॉ. वोलफ्राम सीडमन्न, प्रबंध निदेशक, लुईसेंथल; अन्य प्रतिनिधिगण ; देवियों और सज्जनों। आरंभ में ही, मैं बैंक नोट सम्मेलन 2014 के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण सभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन के कार्यक्रम की विषय-वस्तु से तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में मेरे सहकर्मियों जिन्होनें कई वर्षों तक इस सम्मेलन में भाग लिया से प्राप्त फीड-बैक से मैं यह समझता हूँ कि यह सम्मेलन कतिपय उपयोगी प्रयोजनों विशेषतः विचारों का उन्मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, मुद्रा प्रबंधन के तेज़ी से बदलते क्षेत्र में अद्यतन गतिविधियों को प्रदर्शन-मंजूषा में रखना, विश्वभर से सेवा प्रबंधकों और सेवा अन्वेषकों को एक ही छत के नीचे लाना तथा सहभागियों को उनकी भावी कूट-योजनाओं और कार्य-योजना की रूप-रेखा तैयार करने में प्रायः सहायता करने की पूर्ति करने की कोशिश करता है।

2. हमारी विशाल जनसंख्या तथा बैंक नोट की मात्रा जो हमें प्रत्येक वर्ष परिचालन में डालनी पड़ती है के कारण भारत विश्व में उन घटकों, जो बैंकनोटों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है। परिचालन में डाले गए बैंक नोटों की मात्रा के मद्देनजर उसके अनुकूल बैंक नोटों के प्रोसेसिंग, पहचान और उनको नष्ट करने की अन्य मशीनरी को आयात करना भी एक बड़ा कार्य ही है। अतः भारत सभी घटकों और उपस्करों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाज़ार है जो कि बैंक नोट उत्पादन और नष्ट करने की प्रक्रिया का संपूर्ण परितंत्र विकसित करता है। देश में मुद्रा प्रबंधन कार्य के प्रभारी होने के नाते हमने देश के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक में गंभीर अवरोध महसूस किए हैं जिनमें से कुछ बैंक नोट उद्योग में वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति तथा आज इस मंच पर बोलने के अवसर का लाभ उठाते हुए इन कतिपय मुद्दों को उजागर करूँ जो मैं समझता हूँ कि अन्य केंद्रीय बैंकों जो विशेषकर उभरते बाज़ारों में अपने मुद्रा प्रबंधन के लिए आयातों पर निर्भर करते हैं, को परेशान करते होंगे। मुझे अत्यंत खुशी होगी यदि ये आपूर्तिकर्ता विक्रेता हमारे मुद्दों पर विचार करें और हमारी समस्याओं का कुछ व्यावहारिक समाधान विकसित करें। तथापि, विशेष मामलों की ओर जाने से पहले मैं भारतीय मुद्रा प्रणाली के विभिन्न आयामों तथा मामलों और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त परिदृश्य से शुरुआत करना चाहूँगा जो हम हमारे मुद्रा प्रबंधन प्रयासों में सामना करते हैं। मैं इस क्षेत्र में उठाए गए कतिपय कदम भी बांटना चाहता हूँ ताकि उसे सुधारने के लिए आपके विचार और फीडबैक हमें प्राप्त हो सके।

प्रस्तावना

3. विश्वभर में केंद्रीय बैंकों के लिए मुद्रा प्रबंधन बहुत मायने रखता है क्योंकि यह अत्यंत प्रत्यक्ष कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को छूता है। चूंकि जनता प्रायः केंद्रीय बैंक की क्षमता का आकलन उनके कब्ज़े में नोटों की लगातार पहुँच की सहुलियत और गुणवत्ता से करता है, मुद्रा प्रबंधन कार्य के लिए केंद्रीय बैंक हेतु एक निश्चित श्रेणी का प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम होना आवश्यक है। जैसेकि लगभग सभी अधिकार क्षेत्रों में देखा जा सकता है कि बैंक नोट जारी करना तथा मुद्रा का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक का सब से प्रमुख कार्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 के *आमुख में इस प्रकार प्रतिष्ठापित है कि ''..... बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र आरक्षित निधियां रखना तथा सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली को परिचालित करना।''*

4. किसी केंद्रीय बैंक का अधिदेश होता है नई डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताओं के माध्यम से बैंक नोटों की अखंडता की संरक्षा करना, बैंक नोटों और सिक्कों की मांग का आकलन करना, बैंक नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति और वितरण करना

* वॉशिंगटन में 8 अप्रैल 2014 को बैंक नोट सम्मेलन में डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उपगर्वर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य संभाषण। श्री बी. पी. विजयेन्द्र, सुश्री काया त्रिपाठी तथा श्री अरविंद कुमार द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए साभार

तथा गंदे बैंक नोटों की सही समय पर वापसी द्वारा परिचालन में बैंक नोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रणालियों/प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से तथा बैंक नोटों के डिज़ाइन, उत्पादन और आपूर्ति से जुड़े सभी से सहायता प्राप्त करते हुए मुद्रा में विश्वास बनाए रखा जाए।

कतिपय अंक

5. तकनीकीयुत्त गैर-नकदी भुगतान/ई-करेंसी/वर्चुअल करेंसी-बिट सिक्के आदि प्रणालियों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में बैंक नोटों और सिक्कों के लिए मांग में एक स्थिर वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गैर-नकदी भुगतान प्रणालियों के बावजूद नोट संचलन में वृद्धि हुई है। तथापि, भारत में प्रचुर संख्या अन्य देशों के मुकाबले एक अनूठा दृश्य दर्शाता है। कुछ प्रमुख देशों की तुलना में भारत में संचलित नोटों की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है :

वर्ष 2012-13	भारत	यूएस	यूके	यूरो ज़ोन	ओस्ट्रेलिया	कनाडा
नोटों की संख्या (बिलियन में)	76.47	34.5	2.99	15.8	1.15	2.00
गृह मुद्रा के अर्थों में मूल्य	12468 बिलियन	1198 बिलियन	58 बिलियन	933.7 बिलियन	53.6 मिलियन	63.7 मिलियन

6. वैश्विक रूप से जीडीपी अनुपात की तुलना में संचलन में नकदी का प्रतिशत 2.5% से 8% रहा जबकि भारत में जनसंख्या के बड़े हिस्से द्वारा नकद की बड़ी खपत के कारण यह लगभग 13% रहा। विश्वभर में नकदी संचलन की वृद्धि दरें 6% और 13% के बीच घटती-बढ़ती रहीं जिसमें मध्य और दक्षिण अमेरिका सबसे ऊपरी चोटी पर और उसके बाद अफ्रीका (12%), मध्य पूर्वी देश (11%), यूरोप (10%), एशिया (7%) और अंत में (6%) के साथ यूके और आइरलैंड आता है। वर्ष 2013 में विश्वभर में 154 बिलियन बैंक नोट जारी किए गए थे जिसमें से अधिकतम बैंक नोट 54 बिलियन चीन द्वारा जारी किए गए तथा लगभग 20 बिलियन बैंक नोट भारत द्वारा जारी किए गए । अगले तीन वर्षों के लिए वैश्विक अनुमान क्रमशः 160 बिलियन, 166 बिलियन और 173 बिलियन लगाया गया। ये संख्या पूरी तरह से चौंका देने वाली संख्या है। जबकि यह बैंक नोटों के उत्पादन से जुड़े विक्रेताओं के लिए एक बड़ा सुअवसर प्रदान करता है, मैं यह मानता हूँ कि यह साथ ही साथ उनके ऊपर कतिपय जिम्मेवारी डालता है। उदाहरण के लिए, विक्रेताओं को अपनी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से जागरूक रहना आवश्यक है। इन मुद्दों पर मैं मेरे भाषण में बाद में चर्चा करूँगा। इस चरण में मैं यह कहना चाहूँगा कि अनुसंधान और विकासात्मक प्रयासों में विक्रेताओं द्वारा और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है ताकि बैंक नोटों की दीर्घायु में सुधार सुनिश्चित किया जा सके और अंततः समाज के लिए छापी जानेवाली बैंक नोटों की लागत पूर्णरूपेण घट जाए। विक्रेताएं ऐसा बैंकनोट कागज़ तैयार करें जो धूल और नमी से अप्रभावित रहे और जिससे संचलन में बैंक नोटों की आयु और विशेषता बढ़े। जबकि बैंक नोटों की छपाई की लागत को घटाने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह कार्य उसकी सुरक्षा को संकट में डालकर नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में बैंक नोटों को और ज्यादा सुरक्षित और कम लेकिन मजबूत सुरक्षा विशेषताओं के साथ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

भारत में मुद्रा प्रबंधन - प्रमुख चुनौतियां

7. अब मैं आपके साथ उन कतिपय चुनौतियों को बांटना चाहूँगा जिसका सामना हम भारत में मुद्रा प्रबंधन और मुद्रा वितरण में करते हैं। भारत जैसा देश जिनका क्षेत्र लगभग 3.3 एमएन वर्ग. किमी है और जिनकी जनसंख्या 1.2 बिलियन से अधिक है, में दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों में अंतिम प्रयोक्ता को मुद्रा पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है। 31 दिसम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार, 110,520 वाणिज्यिक बैंक शाखाओं तथा 137,080 एटीएम का नेटवर्क है। इसी तारीख में संचलन में नोटों की संख्या लगभग 76.47 बिलियन थी जिसका मूल्य 12,468 बिलियन था जबकि संचलन में सिक्कों की संख्या लगभग 89.91 बिलियन थी जिसका मूल्य रु.168 बिलियन था। चूंकि नोटों और सिक्कों की मांग विविध सामाजिक -आर्थिक स्थिति, व्यवहार और अन्य बार-बार के अप्रत्याशित कारकों पर निर्भर करता है, मुद्रा की मांग का पूर्वानुमान लगाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है और यह बड़ी विविधता पर आधारित हो सकता है। फिलहाल, मुद्रा हेतु संरचनात्मक और आवर्ती मांगों को अभिग्रहण करने और सुस्पष्टता के साथ मांग दर्शाने में, व्यवस्था को काफी दिक्कतें आ रही हैं। अतः मैं इस सुअवसर पर यहां उपस्थित प्रतिनिधियों को

आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे आएं और देखें कि क्या वे बैंक नोटों और सिक्कों की मांग को विशुद्ध रूप से दर्शाने के लिए हमारे साथ काम कर सकते हैं।

8. मुद्रा प्रबंधन में अन्य चुनौतियां, बैंक नोटों का टिकाव सुनिश्चित करने, सभी मूल्यवर्ग की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, संचलन, वितरण और मार्गस्थ/भंडारण सुरक्षा की लागत को नियंत्रित करते हुए नोटों के वितरण में परिचालन संबंधी क्षमता को सुधारने, उचित दामों पर अंतिम चरण पर संयोजकता उपलब्ध कराने, वितरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने, भारतीय रिज़र्व बैंक को नए नोट/सिक्के आपूर्ति शृंखला में सीमित पहुँच के साथ खुदरा व्यापारी के बजाय प्रतिप्रवाह समन्वयक के रूप में दुबारा लाने से संबंधित हैं। मैं भारत में बैंक नोटों के टिकाऊपन से जुड़ी चुनौती को कतिपय आकड़े देकर दर्शाना चाहूँगा। चीन को छोड़कर कुल मिलाकर सभी देशों द्वारा सामूहिक रूप से उत्पादित बैंक नोटों की संख्या के मुकाबले हम भारत में संचलन से अधिक संख्या में बैंक नोट वापिस ले लेते हैं। वास्तव में प्रति वर्ष सभी नोट जो हम प्रति वर्ष संचलित करते हैं, उसमें से लगभग 75% नोट वापिस ले लेने के लिए हम मजबूर हैं जैसाकि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा तिजोरियों को आपूर्ति की गई बैंक नोट तथा गंदे नोटों का निपटान

मूल्यवर्ग	मात्रा (संख्या मिलियन में)					
	2010-11		2011-12		2012-13	
	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान
1	2	3	4	5	6	7
₹1000	706	179	371	375	1536	450
₹500	4347	1864	5560	1994	2725	2263
₹100	4085	5227	1091	5577	6348	5627
₹50	1114	2095	1522	1578	1257	1357
₹20	1296	664	4237	562	904	609
₹10	5580	3657	3379	3584	5991	3752
₹5 तक	549	166	1440	101	105	72
जोड़	17677	13852 (78%)	17600	13771 (78%)	18866	14130 (75%)

9. संचलन से इतनी भारी संख्या में बैंक नोटों को वापिस लेने का मतलब है न केवल नए नोट छापने की अतिरिक्त लागत बल्कि बैंक नोटों के उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता भी है। इस संदर्भ में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि बैंक नोटों के टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं ताकि न केवल अपव्यय को घटाया जा सके बल्कि दीर्घकालिक ढ़ंग से संसाधनों का इस्तेमाल भी किया जा सके और फलस्वरूप यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारा मुद्रा प्रबंधन संचालन के पर्यावरिक पदचिन्ह घट गया है।

10. मात्रा में बढ़ोत्तरी से गंदे नोट संसाधन के तंत्र ने भी नई चुनौतियां दी हैं यथा मशीन मानदंडों का मानकीकरण सुनिश्चित करना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संसाधन क्षमता को सुधारने में धीमी प्रगति तथा मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण सुरक्षा जोखिम। दूसरी चुनौती जो संभवतः भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए एक प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम बन सकती है वह है अपर्याप्तता / सिक्कों की 'कथित' अपर्याप्तता तथा उसके वितरण में केन्द्रीय बैंक की सही भूमिका को समझने का अभाव। यह समझना जरूरी है कि जबकि सिक्कों के निर्गम का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है, भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका उनके द्वारा प्राप्त सिक्कों को संचलित करने तक सीमित है । इसके अलावा, विभिन्न मूल्यवर्गों के एक ही प्रकार के आकारों के कारण मुद्दे भी हैं। अंतिम पर अंत नहीं, वह है संचलन में नकली नोटों का बढ़ता खतरा तथा बैंक नोटों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना।

भारत में मौजूदा उपाय

क) उच्च स्तरीय समिति का गठन

11. हम भारत में महत्वपूर्ण चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं तथा उससे संबधित अन्य मामलों के चलते हालही में भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : डॉ. के. सी. चक्रवर्ती) गठित की गई जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नोट प्रेस और मिंट के प्रतिनिधि सदस्य हैं। उक्त समिति ने पूर्वानुमान कार्य-प्रणाली की समीक्षा की तथा अन्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा नकदी वितरण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही उत्तम कार्यपद्धति का अध्ययन किया। समिति ने विस्तृत सिफ़ारिशें कीं विशेषतः, (i) बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण की संपूर्ण जिम्मेवारी वाणिज्यिक बैंकों को सौंपते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक केवल मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन और आयोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा, (ii) यदि वितरण हेतु अंतिम चरण पर संयोजकता प्राप्त करनी हो तो बैंकों की ओर से बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण के लिए निजी उद्यमियों को लाने की आवश्यकता होगी, (iii) उस बैंक की पहचान जो जिले

में मुद्रा प्रबंधन कार्य का नेतृत्व ग्रहण करने का इच्छुक हो, आदि। ये सभी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

ख) वितरण तंत्र

12. मुद्रा (बैंक नोट और सिक्के दोनों) जारी करना और उसके प्रबंधन संबंधी कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा उनके 19 निर्गम कार्यालयों तथा देशभर में फैले 4,209 मुद्रा तिजोरियों और 3,966 छोटे सिक्कों के भंडारों के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा तिजोरियों (भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग की फैली हुई बाहें) की बड़ी संख्या के बावजूद मुद्रा प्रबंधन ढाँचे के कारण बैंकों को मुद्रा पहुँचाने का प्रमुख कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष, बैंक नोटों और सिक्कों के लिए बैंक की मांग के आधार पर प्रिंटिंग प्रेस और मिंट भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालयों को नोट और सिक्के प्रेषित करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालयों से नोट और सिक्के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिचालित मुद्रा तिजोरियों को सौंपा जाता है। केन्द्रीय बैंक खजाने के अंतरण के लिए यातायात और पुलिस पहरे की व्यवस्था करता है तथा उससे संबंधित सभी खर्च उठाता है जो अन्य देशों से भिन्न हैं जहां नकदी यातायात के लिए वाणिज्यिक बैंक जिम्मेवार हैं। अतः भारत में नकदी वितरण केन्द्रीय बैंक की मुख्य जिम्मेदारी है। मुद्रा तिजोरियों में खजाना केन्द्रीय बैंक की संपत्ति है और वह लेखा-परीक्षा/सत्यापन के अधीन है। तिजोरी धारित करनेवाले किसी बैंक द्वारा मुद्रा तिजोरी से आहरण या जमा करने पर वह भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धारित बैंक के खाते में नामे/जमा के रूप में दर्शाया जाएगा।

13. अंतिम चरण पर संयोजकता को सुधारने के लिए हमने निजी उद्यमियों को वितरण कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया है। मार्गस्थ रोकड़ (सीआइटी) कंपनियों/कारोबारी संपर्किंयों को सिक्कों और बैंक नोटों को संसाधित करना साथ ही पैकेजिंग, छंटाई तथा बैंक के ग्राहकों को सुपुर्दगी तथा पुनरुद्धार के लिए अनुमति प्रदान की गई है। शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ-साथ बैंकों को भी शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकदी संबंधी सेवाओं के अंतिम चरण पर सुपुर्दगी देश भर में प्राप्त हो रही है। हमने मुद्रा प्रबंधन के लिए अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत एक आरंभिक कवायद शुरू की है और प्राप्त अनुभव के आधार पर उसे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

ग) बैंक नोटों का सीधा विप्रेषण

14. वर्तमान में, प्रिंटिंग प्रेस से नोटों के विप्रेषण हमारे निर्गम कार्यालयों को प्रेस के प्रतिनिधि और पुलिस के एस्कार्ट के साथ प्राप्त होते हैं। इन बॉक्सों के प्राप्त हो जाने के बाद उनकी प्रारंभिक जांच की जाती है जिसमें बॉक्स में रखे गए नोटों का सत्यापन प्रेस के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वाल्ट के संयुक्त अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। बाद में, बैंकों को विप्रेषण भेजते समय बॉक्सों की पैकिंग रिज़र्व बैंक के साथ गए स्टाफ तथा वाल्ट के संयुक्त अभिरक्षक की मौजूदगी में की जाती है। बैंक पर नोटों को सत्यापन बैंक के अधिकारियों द्वारा कर लिए जाने तक रिज़र्व बैंक का स्टाफ बैंक में ही रुका रहता है।

15. हमने यह महसूस किया कि इस वर्तमान प्रक्रिया में कुछ अंदरुनी कमियां हैं क्योंकि नोटों को आम जनता तक पहुंचने से पहले कई बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। इससे न केवल उत्पादकता कम होती थी बल्कि यह महंगा भी पड़ता था। तदनुसार, हमने विप्रेषणों को प्रिंटिंग प्रेस से रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालयों को भेजने के बजाय सीधे ही वाणिज्य बैंकों को भेजने की योजना प्रारंभ की ताकि समय बचे, प्रयास कम करने पड़ें और संसाधन का इस्तेमाल कम हो। इस नई प्रक्रिया को रिज़र्व बैंक ने अत्यधिक बढ़ावा दिया है।

घ) स्वच्छ नोट नीति अपनाना

16. बैंक ने वर्ष 1999 से 'स्वच्छ नोट नीति' अपनाई है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट आबाध रूप से संचलन में बने रहें। जैसाकि ऊपर पैरा 8 की सारणी से देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्ष में क्रमशः 13852 मिलियन, 13771 मिलियन तथा 14130 मिलियन गंदे बैंक नोट संचलन से हटाए गए और उनको समाप्त कर दिया गया है। जहां बड़े मूल्य वर्ग के नोटों के बारे में 'स्वच्छ नोट नीति' काफी हद तक सफल रही है, वही छोटे मूल्यवर्ग के नोट, खासतौर से 10 रु. के नोटों के बारे में चिंता बनी हुई है, शायद इसलिए कि बैंक इन नोटों को संचलन से हटाने में हिचकते हैं या न हटाने की उनकी बाध्यता है।

17. यह सुनिश्चित करने के लिए कि संचलन में केवल असली बैंक नोट हों, बैंकिंग प्रणाली से जाली नोटों का प्राथमिकता से पता लगाया जाता है। इसके प्रयोजन से, बैंकों को निर्देश दिया गया है

कि वे प्रौद्योगिकी का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनकी नकदी प्रबंधन प्रणाली पुनः उस प्रौद्योगिकी के अनुरूप बन जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 100 रु. एवं उससे ऊपर राशि की नकदी रसीदों को बिना मशीन द्वारा अभिप्रमाणित किए उन्हें फिर से संचलन में न डाल दिया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने यहां उपयुक्त प्रणाली रखें जिससे जाली नोटों का पता लग सके और उन्हें विधिवत जब्त कर लिया जाए तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके संबंध में रिपोर्टिंग की जाए।

ई) भारत में मुद्रा का प्रसंस्करण - व्यय की प्रवृत्ति

18. हमारे देश में करेंसी के उत्पादन की लागत लंबे समय से बहुत अधिक रही है। हमने रिज़र्व बैंक में इस कार्य के लिए 2010-11 में 23.76 बिलियन रु., वर्ष 2011-12 में 27.36 बिलियन रुपए तथा 2012-13 में 28.72 बिलियन रु. व्यय किए हैं। दो नोट प्रिंटिंग प्रेस - बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआइएल में पिछले तीन वर्षों में समग्र व्यय बढ़ता रहा है जैसे - 12.22 बिलियन रुपए, 13.09 बिलियन रुपए और 14.23 बिलियन रुपए पहले वाले प्रिंटिंग प्रेस पर तथा 26.17 बिलियन रुपए, 27.88 बिलियन रुपए और 32.82 बिलियन रुपए बाद वाले प्रिंटिंग प्रेस पर व्यय हुए हैं, जिसमें कुल लागत में कागज और स्याही पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने गंदे नोटों को नष्ट करने के लिए 59 सीवीपीएस मशीनों एवं 28 एसबीएस (श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम) को हासिल करने, उन्हें अपग्रेड करने तथा उनकी मरम्मत पर 5.23 बिलियन रुपए खर्च किए हैं।

आगे का मार्ग और प्रमुख संदेश

19. मुद्रा प्रबंधन, इसके खिलाड़ियों को बहुत बड़ा कारोबार अवसर उपलब्ध कराता है क्योंकि हर वर्ष बैंक नोटों की बढ़ती हुई मांग के कारण बैंक नोटों की मुद्रण-लागत बढ़ती जा रही है। जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि इसकी जिम्मेदारी उठाने में कुछ हाथ वेंडरों का भी होता है। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि उनके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के हों और भरोसेमंद हों तथा वे तकनीकी शर्तों पर खरे उतरते हों। इस संदर्भ में, मैं बताना चाहूंगा कि भारत में प्रयोग आधार पर 10 रु. मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोट जारी करने के लिए जिन बोली लगाने वालों का चयन किया गया था वे तकनीकी शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं और नतीजतन पूरी प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करनी पड़ी जिससे काफी विलंब हो गया। वेंडरों से यह भी अपेक्षित है कि वे राष्ट्रीय सरकार और केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग करें ताकि नकली नोट का उत्पादन न हो सके, उन्हें नोटों में राष्ट्र-विशेष की सुरक्षा विशेषताएं डालनी चाहिए, कच्चे माल को बेहतर बनाएं जैसे-कागज, स्याही, धागा आदि। इस संबंध में वेंडर के स्तर पर किसी भी प्रकार की नाकामी से प्रत्येक राष्ट्र को बैंक नोट को स्वदेशी बनाने के लिए काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

20. अब मैं अपनी बात उन उम्मीदों पर केंद्रित करना चाहता हूं जो इस बैंक नोट सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न वेंडरों से हैं। हम सब सहमत होंगे कि बैंक नोट की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस संदर्भ में यह कितनी अजीब बात है कि संचलन में जाली नोट आ जाने से उसका दोष केंद्रीय बैंक पर लगाया जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि दोष जाली नोट बनाने वाले पर डाला जाए जैसाकि नकली दवाइयां बनाने वाले पर डाला जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बैंकनोट की प्रतिष्ठा का मामला प्रौद्योगिकी का नहीं है बल्कि यह कानूनी मामला है। मैं जब यह बात कह रहा हूँ तो मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि मैं उद्योग द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों के सभी उपभोक्ताओं की संवेदनाओं को प्रकट कर रहा हूँ, खासतौर से उभरते बाजार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की संवेदनाएं, जो अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में करेंसी के उत्पादन के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि कुछ-कुछ वर्षों के बाद बैंक नोट की सुरक्षा विशेषता उन्नत करने और डिजाइन बदलने से जाली नोट बनाने वालों को बेवकूफ बनाना कोई स्थायी समाधान नहीं है बल्कि इससे बैंक नोट के उत्पादन की लागत ही बढ़ती है।

21. मैं यह बात आपको विस्तार से बताता हूँ। यदि जालसाज नकली नोट बनाने में माहिर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पहुंच अच्छे करेंसी कागज, मुद्रण-स्याही तथा अन्य चीजों तक है जो बैंक नोट बनाने के लिए चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इन धोखेबाजों को इनकी सप्लाई कौन करता है और ऐसी गैर-कानूनी हरकतें करने में वेंडरों की क्या भूमिका है। कमर्शियल बैंक पूरे विश्व में अपने ग्राहकों के संबंध में केवाइसी का सख्ती से पालन कर रहे हैं। चूंकि नोटों की जालसाज़ी पूरे विश्व का मुद्दा है, इसलिए यहां उपस्थित वेंडरों से मेरा कहना है कि वे अपने सभी ग्राहकों के बारे में इसी प्रकार की पहचान करें और अत्यधिक सावधानी

बरतें। वेंडरों को चाहिए कि वे यह पता लगाने में साथ दें कि जालसाज़ों को स्याही, कागज, मशीनरी आदि किसने उपलब्ध कराया है जिससे विनियामक उचित कार्रवाई कर सकेंगे। जिस प्रकार से बैंक संदिग्ध लेनदेन की स्थिति में ग्राहक का खाता बंद कर देता है, उसी प्रकार से आपूर्ति करने वाले का संबंध संदिग्ध ग्राहकों से समाप्त हो जाना चाहिए। वस्तुतः इस समय जरूरत इस बात की है कि जालसाज़ी को आपराधिक गतिविधियों की तरह मानना चाहिए और उसे दूर करने में सामूहिक रूप से सभी हितधारकों जैसे-वेंडर, केंद्रीय बैंक, कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदि को कार्य करना चाहिए। इस संकट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सीमा-पार देशों का भी सहयोग वांछित है। सच तो यह है कि वेंडरों का हित इसमें सबसे अधिक है कि वे इन समस्याओं का प्रतिकार यथाशीघ्र करें। वेंडरों ने एक लंबे समय में ऐसी क्षमता-निर्माण में बहुत ज्यादा निवेश किया है और इस पूरी प्रक्रिया को किफायती बनाने की संभावना पैदा की है। उन्हें बैंक नोट के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तुओं/चीजों पर न्यूनतम खर्च करना पड़ता है और किसी एकल राष्ट्र द्वारा विनिर्माण क्षमता पैदा करने का कोई भी प्रयास अपर्याप्त होगा और कई मायने में यह बेकार का निवेश होगा। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि इसमें सुधार के आवश्यक उपाय करने में यदि किसी प्रकार की असफलता होती है तो वह भारत की भांति अधिक से अधिक देशों को स्वदेशीकरण की ओर ले जाएगी और परिणामतः वेंडरों को इस कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

22. विश्व में बैंक नोट उद्योग बहुत बड़ा है जिसमें मशीन, कागज, स्याही, सुरक्षा विशेषता आदि बनाने वाले निर्माता हैं। मेरे अनुमान के अनुसार इस उद्योग का कुल बाज़ार लगभग 27 से 28 बिलियन अमरीकी डालर का है। मैं इस अवसर पर बैंक नोट उद्योग के सभी निर्माताओं, सटलायटों, वेंडरों से अनुरोध करूंगा कि वे एकजुट होकर सोचें और नए तरीके ढूंढे कि किस प्रकार से न केवल कागज, स्याही, मशीन आदि की लागत कम की जा सकती है बल्कि नूतन प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंक नोट के टिकाऊपन को भी बढ़ाएं। वेंडर स्वयं यह एहसास पैदा करें कि वातावरण के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है। इन नवीनताओं से यह जाहीर होना चाहिए कि वेंडर वातावरण की वहनीयता और 'हरित' प्रथा को बढ़ाने के प्रति जागरुक हैं।

अतः, यह महत्त्वपूर्ण है कि वेंडर करेंसी उत्पादन कार्यों को मात्र कारोबार के नज़रिये से न देखें बल्कि कुछ इस प्रकार से देखें कि इसके सभी हितधारकों जैसे राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय बैंक और स्वयं वेंडर पर इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है।

23. मैं एक बार पुनः इस सम्मेलन के व्यवस्थापकों को मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए और सहभागियों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण उन संदेशों/चिंताओं पर विचार करेंगे जिसे मैंने आज की सुबह उनके समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस मौजूदा/चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। बैंक नोटों की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए पूरे विश्व का समन्वय और गहन प्रयास करना समय की जरूरत है और मेरा विश्वास है कि सभी हितधारक जैसे - केंद्रीय बैंक, राज्य, नीति-निर्माता और वेंडर जो बैंक नोट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इन मुद्दों का उद्देश्य भी यही है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम समग्र मुद्रा प्रबंधन कार्यों में और अधिक कुशलता पैदा करें - एक अनिवार्य वचनबद्धता जो हम सब अंतिम उपभोक्ता के प्रति करेंगे जो पूरे क्षेत्र में और आपके अपने अधिकारक्षेत्र में फैले हुए हैं।

धन्यवाद ।